

सं0 ई. 11011/27/2021-हिन्दी/ ५१२

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

300, नवीन पुस्तकालय भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: २५ जनवरी, 2024

(परिपत्र)

विषय: केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा हिंदी कार्यशाला के नियमित आयोजन के संबंध में (कार्यवृत्त की मद सं.1)।

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 154वीं बैठक में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा हिंदी कार्यशाला का नियमित रूप से आयोजन नहीं किया जा रहा है।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 के अनुसार, सभी कार्यालयों द्वारा प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा हिंदी कार्यशाला का आयोजन करना अनिवार्य है।

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग महोदय ने निदेश दिया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालयों तथा उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों में नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए। साथ ही, उन्होंने सभी कार्यालयों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ाने के दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निदेश भी दिया।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त मद पर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से इस अनुभाग को अवगत करवाया जाए।

भवदीया

(रजिन्दर पाल)

उप निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
केन्द्रीय जल आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय (वेबसाइट के माध्यम से)।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।